'मान' के रखवाले: हथियारबंद भाई

अर्पिता बासु, नेहा भट्ट, चंदर सुता डोगरा

11 मई	नई नवेली गुरलीन कौर ने अपने परिवार के ख़िलाफ़ जाकर शादी कर ली। भाई, पिता व चाचाओं ने उसके शरीर के टुकड़े-टुकड़े कर डाले।
12 मई	अंशु-अमित व परिवार वालों ने मिलकर गर्भवती रजनी की हत्या की।
1 जून	खेरवा गांव के प्रवेंद्र ने बहन पुष्पा को, जो एक लड़के से प्यार करती थी, मौत के घाट उतार दिया।
8 जून	चौना गांव के रणबीर व धर्मेंद्र की चचेरी बहन रेखा के दोस्त प्रमोद के खून के लिए गिरफ़्तारी।
20 जून	भिवाड़ी में मॉनिका व उसके प्रेमी पिंकू के कत्ल के लिए उसके भाई व छः अन्य दोषी गिरफ़्तार।
29 जून	मुज़फ्फरपुर के असास मुहम्मद को बहन की हत्या के जुर्म में गिरफ़्तार किया गया।

शायद उस दोपहर को दिल्ली के वज़ीरपुर गांव में काफी 'नये' लोग थे जब हम अंकित गूजर चौधरी व मंदीप नागर का मकान ढूंढ़ रहे थे। संकरी गलियों के किनारे, राशन की दुकानों, गोदाम, छपाई वर्कशॉप के बोर्ड खामोश थे। अगर ये दोनों जेल में नहीं होते तो शायद इन गलियों के नुक्कड़ पर खड़े दिखाई देते। इन गलियों से गुज़रते हुए मोटर साइकिलों पर बैठे, एक दूसरे से गप्पे हांकते, बालकनियों व बिजली-टेलीफ़ोन के तारों के नीचे मोबाइल फ़ोन पर बात करते नौजवानों की तस्वीरें चलचित्र समान सामने से गुज़रती चली गईं। अपनी ही धुन में मग्न इनमें कोई काम निपटाने या कहीं जाने की आतुरता दिखाई नहीं दे रही थी।

मंदीप नागर, अंकित चौधरी व नकुल खारी पर हत्या का आरोप है। लगभग बीस वर्ष की उम्र के इन दो भाइयों, मंदीप और अंकित ने अपने दोस्त नकुल के साथ मिलकर अंकित की बहन शोभा की हत्या की थी। पर उत्तर भारत के "सम्मान हत्या इलाकों में यह कोई अपवाद नहीं है।" ऐसा भी नहीं है कि ये नौजवान कभी स्कूल न गये हों जैसा कि हरियाणा के पुलिस अफसर, सुभाष यादव का कहना है, 'स्कूल छोड़कर बैठे, अंगूठा छाप... जो चाहते हुए भी गांव की सीमा से बाहर नहीं जा सकते।'

वज़ीरपुर एक धनाढ्य गांव है और इन तीनों नौजवानों ने यहां सरकारी स्कूल में दाखिला भी लिया था। पर किसी

के लिए भी कॉलेज की डिग्री की कोई अहमियत नहीं थी। शायद इसलिए कि यहां पर किराए से आमदनी काफी अच्छी होती है। जैसा कि वज़ीरपुर के प्रधान, सुभाष खारी समझाते हैं- 'लगभग पिछले बीस सालों से गूजर और राजपूत खेतिहर परिवार अपनी ज़मीनों के किराए से गुज़ारा कर रहे हैं जो करीब चालीस हज़ार रुपया माहवार है। वज़ीरपुर औद्योगिक क्षेत्र से सटे होने के कारण आमदनी अच्छी है।'

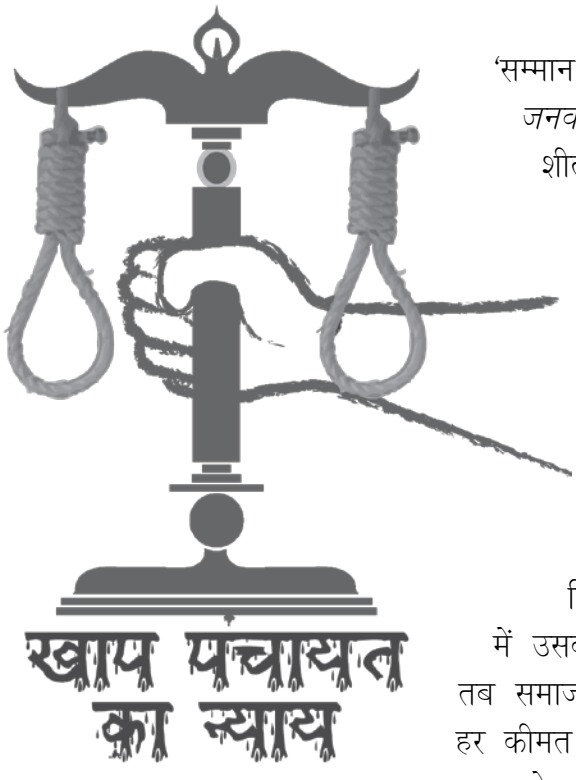

पास ही के सत्यवती कालेज के प्रधानाचार्य, शमसुल इस्लाम खुलासा करते हैं कि पास के गांव के दस छात्र उनके कॉलेज में पढ़ते हैं। इस गूजर क्षेत्र की 1857 गदर में ऐतिहासिक भूमिका को याद करते हुए वे अफ़सोस के साथ कहते हैं, 'किराए पर अपनी जीविका चलाने वाले इन युवाओं को काम करने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। लड़कियां इस मामले में कहीं ज़्यादा बेहतर हैं।' 'जब अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचने की बात आती हैं तब भी लड़कियां सही दिशा में बढ़ रही हैं', गांव में रहने वाले एक व्यक्ति जिनकी बेटी दूतावास में नौकरी कर रही है, का विचार है। 'हमारे यहां डाक्टर, इंजीनियर व विमान परिचारिकाएं सभी हैं।' नौजवानों के विषय में बात करने पर जवाब काफी अलग हैं। एक महिला बताती हैं,— *'मोटर साईकिल है, फ़ोन है, पैसा है और क्या चाहिए?'* उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के एन. एस. बुंदेला स्थानीय नौजवानों के बारे में स्पष्टता से कहते हैं- *'बदमाश, गैरज़िम्मेदार और अधिकतर हाई स्कूल तक पढ़े।'* हरियाणा की कॉस्टेबल, सीमा बनवाला बताती हैं, 'हमारे गांवों में सारा काम औरतें करती हैं। लड़के पत्ते खेलते, दारू पीते और सोते हैं।'

तो क्या अपने नए आत्मविश्वास और महत्वाकांक्षाओं के चलते पुरुषों में एक हीनता की भावना बढ़ रही है? क्या इसीलिए अपना भविष्य दांव पर लगाकर नौजवान 'सम्मान' की रक्षा के लिए आतुर हैं? *जनवादी महिला समिति* की कार्यकर्त्ता शीला हमें सतर्क करती है कि सिर्फ़ जलन, ईर्ष्या जैसे छुटपुट कारण इन हत्याओं के लिए ज़िम्मेदार नहीं हैं। मुद्दा इससे कहीं अधिक गहरा है।

'जब एक लड़की मानकों को न मानते हुए अपने साथी का चुनाव करती है तब वह इशारा कर रही है कि समाज व कानून की नज़र में उसका दर्जा पुरुषों के बराबर है। तब समाज की भावना यही है कि उसे हर कीमत पर रोकना होगा उसका दमन करना होगा। वह अपने सम्पत्ति अधिकार की भी मांग भी कर सकती है इस बात का खतरा इन कम पढ़े-लिखे, ज़मीन पर अधिक आश्रित नौजवानों के जज़बात भड़काने के लिए काफी है।' सर्वोच्च न्यायालय के वकील व *शक्तिवाहिनी* संगठन के अध्यक्ष, रविकांत जिन्होंने सम्मान जनित हत्याओं के विरुद्ध जनहित याचिका दायर की है बताते हैं- 'वे जानते हैं कि विखण्डित होती ज़मीनें हमेशा दुधारू गायों की तरह नहीं होंगी। न ही इनसे उनके शहरी चमक-धमक वाली जीवनशैली के ख्वाब पूरे हो सकेंगे।' एक व्यावसायिक दुनिया के अभाव में अंकित व मंदीप जैसे नौजवान परम्परा के विकृत मानकों, सजातीय विवाह व पितृसत्ता के पुराने मानदण्डों में कैद रहते हैं। रविकांत आगे जोड़ते है 'निराशाजनक लिंग अनुपात के कारण यहां यह भी प्रचलित मत है कि अपने सामाजिक स्तर से बाहर का व्यक्ति अगर उनके समाज की औरत के साथ विवाह करना चाहता है तो उसे उसकी कीमत अदा करनी होगी।'

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के समाजशास्त्री, प्रोफेसर सुरिंदर जोधखा कहते हैं, 'यह ज़रूरी है कि अपराध कर्म करने वाले युवा हों और उन्हें जुर्म करने के लिए यह विश्वास दिलाकर तैयार कर लिया जाए

कि उनकी गिनती नैतिकता के हिमायती लोगों में होगी। जैसे ही गोलियां चलती हैं इस बात को बढ़ावा दिया जाने लगता है।' शोभा के चाचा, धर्मवीर नागर ने हत्या के बाद फौरन ऐलान कर दिया था 'समाज के लिए ये मर्डर ज़रूरी था।'

पर इस बात पर सर्वोच्च न्यायालय को भी अपने हिस्से की ज़िम्मेदारी लेनी होगी। मुंबई की सुषमा तिवारी की हत्या का गुनाहगार उसका चौबीस वर्षीय भाई जिसने सुषमा के 'निम्न जाति' के पति, ससुर व दो छोटे बच्चों की हत्या की थी, की सज़ा रद्द करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा, 'यह आम अनुभव है कि जब छोटी बहन कुछ चलन के विरुद्ध करती है जैसे कि इस मामले में किया गया था- अन्तर्जातीय, अन्तर्सामुदायिक विवाह जो एक गुप्त प्रेम संबंध का नतीजा था तो समाज में उसके बड़े भाई को इस संबंध को न रोकने के लिए ज़िम्मेदार ठहराया ही जाता है।' जोधखा इस सामाजिक ताने-बाने की गिरफ़्त में कैद युवाओं की स्थिति की समीक्षा करते हुए कहते हैं, 'वे गांव में रहकर खेती-बाड़ी नहीं करना चाहते पर पारम्परिक समुदाय में उनका स्वार्थ निहित है। चूंकि वे अपने बलबूते पर सफल होने में असमर्थ रहे हैं इसलिए अपने ग्रामीण संस्थानों के पास वापस लौटकर, उसके पितृसत्तात्मक ढांचों से खुद को जोड़ लेने के अलावा उनके पास अन्य कोई विकल्प नहीं होता।'

और इसके बाद एक झूठा विश्वास कि जो समुदाय उन्हें बुलाता है वही उसे मौका पड़ने पर उनको बचाने के लिए आगे आएगा पुख्ता होता जाता है और 'न्याय' के मुजाहिद, 'परम्परा' के समर्थक, 'जाति पवित्रता' के स्तंभ, गोलियां दागते, कुल्हाड़ी उठाते और चाकू घोंपते हुए अपनी बहनों को राह पर लाने निकल पड़ते हैं। तब स्नेह से बंधी राखियां और सांझे बचपन की यादें भाड़ में झोंक दी जाती हैं।

साभारः आउटलुक अंक 12 जुलाई